मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ) लघु जल संसाधन विभाग, पटना,
जल भवन, तृतीय तल, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना–800014

ईमेल– ce.pmg-bih@gov.in दूरभाष–0612–2215035

संचिका सं0:–ल0ज0सं0(पी0एम0जी0)–डिवार/कालीकृत–01/2023 –56 /पटना, दिनांक:– 14/11/2025

आदेश

संवेदक मेसर्स गणपति कंस्ट्रक्शन, प्रो0–श्री अजीत कुमार, ग्राम–निजाय, पो0–सोनसा, जिला– नालंदा, पिन कोड–803119 निबंधन सं0–122/2019 (ल0ज0सं0वि0) श्रेणी–02 द्वारा लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा के निविदा आमंत्रण सूचना सं0–02/2021–22 के ग्रुप सं0–10, अन्तर्गत धनुकी कोटरा जहॉगीरपुर आहर पईन का जीर्णोद्धार कार्य की निविदा में संलग्न किये गये डोजर मशीन का इन्वायस (क्रय कागजात) के फर्जी पाये जाने के कारण मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–368 दिनांक–03.02.2023 द्वारा उन्हें कालीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आलोक में संवेदक से कारण पृच्छा इस कार्यालय के पत्रांक–36 दिनांक–04.02.2023 द्वारा की गयी, जिसका जबाव निर्धारित समय में प्राप्त नहीं होने के कारण बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के नियम 11 (क) v(ii) में निहित प्रावधानों के तहत इस कार्यालय के आदेश सं0–05–सह–पठित ज्ञापांक–157 दिनांक–01.03.2023 द्वारा उन्हें अगले 10 (दस) वर्षों के लिये कालीकृत किया गया।

उक्त कालीकरण (Blacklisting) आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–7734/2023 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–28.07.2023 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया।

" It is undisputed fact that the petitioner has not been heard before blacklisting him. Even though show cause notice has been issued and dispatched on 04.02.2023, however, there are no records to show that it has reached the petitioner. Merely recording on postal track records insofar as dispatch of show cause notice to the petitioner, it does not amount service of show cause notice to the petitioner. Therefore, there is no harm in entertaining the present writ petition in order to provide an opportunity of hearing to the petitioner.

In the light of these fact and circumstances, the order of Blacklisting dated 01.03.2023 vide Annexture P-3 stands set aside. The Petitioner is hereby directed to file his reply to the show cause notice dated 04.02.2023 within a period of two months from the date of receipt of this order. On receipt of petitioners explanation/objections, if any, on the show cause notice dated 04.02.2023, The concerned official respondent is hereby directed to pass a detailed speaking order after due consideration of each of the contention to be raised by the petitioner against the show cause notice dated 04.02.023. The above exercise shall be completed within the period of the months from the date of receipt of this order."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्चत्तम न्यायालय में दायर किये गये विशेष अनुमति याचिका (SLP) सं0–26278/2024 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स गणपति कंस्ट्रक्शन को माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा दिनांक–19.12.2024 को पारित निम्नांकित आदेश के साथ निष्पादित किया गया है।

At this point of time, we have been informed that show cause notice has already been issued and reply has been given. Therefore, it is well open to the petitioner (s) to pass appropriate orders on the same within a period of eight weeks from today. All issues are left open.

Accordingly, the special leave petition stands dismissed. Pending application (s), if any, shall stand disposed of.

माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश एवं उसके अनुपालन हेतु विभागीय पत्रांक–1187 दिनांक–16.01.2025 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में इस कार्यालय के आदेश सं0–05–सह–पठित ज्ञापांक–157 दिनांक–01.03.2023 को इस कार्यालय के आदेश सं0–11–सह–पठित ज्ञापांक–111 दिनांक–07.02.2025 द्वारा निरस्त करते हुये माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय दिनांक–28.07.2023 के अनुपालन में संवेदक मेसर्स गणपति कंस्ट्रक्शन, प्रो0–अजीत कुमार के द्वारा कारण पृच्छा का दिये गये जबाव के समीक्षोपरांत उनके विरूद्ध नियमसम्मत/विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया एवं संवेदक से प्राप्त जबाव दिनांक–12.09.2023 जिसमें उनके द्वारा निम्नांकित पक्ष रखा गया है कि:–

1. निविदा आमंत्रण सूचना सं0–02/2021–22 के ग्रुप सं0–10 लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा अन्तर्गत धनुकी कोटरा, जहॉगीरपुर आहर पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु डाली गयी निविदा में निविदा के शर्तों के अनुसार तकनीकी बीड के कागजातों के साथ एक डोजर मशीन का इनवाईस (क्रय कागजात) जिसका मालिकाना हक श्री युवराज यादव, ग्राम–ओरपत्ता, पो0–गुड़ियों, थाना–बरही, जिला–हजारीबाग, झारखंड के पास है के साथ उक्त डोजर के पंजीकृत Owner के शपथ पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न किया गया था एवं उनके द्वारा आवश्यकतानुसार अपना डोजर उपलब्ध कराने का वचन शपथ पत्र के माध्यम से दिया गया था।
2. निविदा आमंत्रण सूचना में अलग–अलग पदाधिकारियों द्वारा अलग–अलग मापदण्ड अपनाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुये विभागीय आदेश सं0–746(मो0) दिनांक–04.08.2021 द्वारा एकरूपता लाने हेतु विस्तृत निर्देश निर्गत किया गया तथा Availability of key and Critical equipments के लिये SBD Clause 4.5 (b) a तथा विभागय पत्रांक–200 दिनांक–14.03.2016 को लागू करने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–1374 दिनांक–05.12.2017 अवलोकनीय है, जिसकी कंडिका–2.2 में Critical equipments की सूची है तथा यह निदेशित है कि Critical equipments की मांग सूची के अनुसार ही किया जाय, जिसमें डोजर नहीं है फिर भी विभागीय निदेश के विपरित प्रासंगिक निविदा में डोजर के कागजात मांगे गये थे।

स्पष्टीकरण के जबाव में संवेदक द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के संदर्भ में स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग इस कार्यालय के पत्रांक–112 दिनांक–07.02.2025 द्वारा मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना से की गयी, जिसके क्रम में उनके पत्रांक–1214 दिनांक–02.04.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक मेसर्स गणपति कन्सट्रक्शन, प्रो0–अजीत कुमार द्वारा लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0–02/2021–22 के ग्रुप सं0–10, लघु सिचाई प्रमंडल, नालंदा अन्तर्गत धनुकी कोटरा जाहॉगीरपुर आहर पईन की निविदा में डोजर मशीन के फर्जी क्रय कागजात के साथ–साथ कथित Owner का फर्जी शपथ पत्र भी संलग्न किया गया है।

स्पष्ट है कि संवेदक मेसर्स गणपति कन्सट्रक्शन प्रो0 अजीत कुमार द्वारा रखे गये पक्ष को मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि जॉच के क्रम में यह पाया गया है कि उनके द्वारा डोजर मशीन के फर्जी क्रय कागजात (Invoice) के साथ ही कथित ऑनर (Owner) का फर्जी शपथ पत्र भी निविदा में संलग्न किया गया है जो निविदा आमंत्रण सूचना सं0–02/2021–22 की कंडिका–22 में निहित शर्त के उल्लंधन के साथ ही आपराधिक कृत्य भी है।

अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत संवेदक मेसर्स गणपति कन्सट्रक्शन प्रो0–अजीत कुमार, ग्राम–निजाय, पो0–सोनसा, जिला–नालंदा, पिन कोड–803119 निबंधन सं0–122/2019 (ल0ज0सं0वि0) श्रेणी–02 को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के नियम–11(क) के उप नियम–vii एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–154 दिनांक–18.06.2015 में निहित प्रावधानों के तहत अगले 10 वर्षों के लिये कालीकृत किया जाता है।

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक– /पटना दिनांक–

प्रतिलिपि–मेसर्स गणपति कंस्ट्रक्शन, प्रो0–अजीत कुमार, ग्राम–नियाज, पो0–सोनसा, थाना–रहुई, जिला–नालंदा, पिन कोड–803119 (निबंधन सं0–122/2019 (ल0ज0सं0वि0) श्रेणी–02) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

S.M.

पत्रांक– 1171 /पटना दिनांक– 14/11/2025

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग,पटना/सभी अधीक्षण अभियंता (मुख्यालय)/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल एवं आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित। आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सूनिश्चित करेंगे।

14/11/25

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

14/11/25

S.M.